

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 13]
No. 13]दिल्ली, मार्च 26—अप्रैल 1, 2010, बृहस्पतिवार/चैत्र 5—चैत्र 11, 1932
DELHI, MARCH 26—APRIL 1, 2010, THURSDAY/CHAITRA 5—CHAITRA 11, 1932[रा.रा.क्षे.दि. सं. 344, 1]
[N.C.T.D. Nos. 344, 1]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 25 मार्च, 2010

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 25th March, 2010

सं. फा. 10 (1131)/मु. स. (मुख्या)/स.शु. 08/11165.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सांलम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट (इंडिया) लि., यूनिट नं. 1, तीसरी मंजिल, ए-विंग, लक्ष्मी टावर्स, बान्द्रा कुरला कम्प्लेक्स, बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई-400051, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1131)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11165.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sanlam Investment Management (India) Limited, Unit No. 1, 3rd Floor, A Wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,00,000 (Rs. One Lac) on the aggregate value of shares of Rs. 10,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 1,00,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1133)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11172.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री समग इन्टरनेशनल प्रा. लि., बी-67, सरिता विहार, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,09,40,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00476601 से 01570600 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,940 (रुपये दस हजार नौ सौ चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1133)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11172.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Saamag International Private Limited, B-67, Sarita Vihar, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,940 (Rs. Ten Thousand Nine Hundred Forty) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,09,40,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 00476601 to 01570600 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1135)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11173.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इमसोफर मैनुफैक्चरिंग इंडिया प्रा. लि., आर-77ए, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 27,12,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 17250001 से 443700000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,71,200 (रुपये दो लाख इकहत्तर हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1135)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11173.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Imsofer Manufacturing India Private Limited, R-77A, Greater Kailash Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.2,71,200 (Rs. Two Lac Seventy One Thousand Two Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.27,12,00,000 for equity

Share certificates with distinctive Nos. 17250001 to 443700000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1136)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11174.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्या विजयनगर स्टील एण्ड पावर लि. 301, पदमा टावर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 500 (रुपये पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1136)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11174.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Vijaynagar Steel and Power Limited, 301, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 00001 to 50000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1144)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11175.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोजर बेयर पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., एन-23बी, ब्लाक एन, डीडीए फ्लेट्स, साकेत, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 30,10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 50001 से 3060000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,01,000 (रुपये तीन लाख एक हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1144)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11175.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that

M/s. Moser Baer Power and Infrastructure Limited, N-23B, Block N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,01,000 (Rs. Three Lac One Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 30,10,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 50,001 to 30,60,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1142)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11176.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बनयान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., 185एफ, पाकेट-1, मयूर विहार-1 नई दिल्ली 110091, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 24,40,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0010001 से 0254000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2440/- (रुपये दो हजार चार सौ चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1142)/COS(HQ)/Cons. Duty/11176.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Banyan Infrastructure Private Limited, 185F, Pocket-I, Mayur Vihar-I, New Delhi-110091 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2440/- (Rs. Two Thousand Four Hundred Forty) only on the aggregate value of shares of Rs. 24,40,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 0010001 to 0254000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1140)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11177.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री परिवार रियल इस्टेट एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि., आरबी-1, ग्राउंड फ्लोर, फ्रन्ट साइड, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली-110012, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,84,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 495001 से 1079000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 58,400 (रुपये अठ्ठावन हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1140)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11177.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Parivar Real Estate & Developers Private Limited, RB-1, Ground Floor, Front Side, Inderpuri, New Delhi-110012 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 58,400/- (Rs. Fifty Eight Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,84,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 4,95,001 to 10,79,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1137)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11178.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अन्टार्कटीका होस्पिटैलिटी लि., 1-ए, वन्दना, 11, टोल्स्टोय मार्ग, नई दिल्ली 110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,20,37,950/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 77,52,794 से 78,33,046 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 12,038/- (रुपये बारह हजार अड़तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1137)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11178.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Antarctica Hospitality Limited, 1-A, Vandhna, 11, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,038/- (Rs. Twelve Thousand Thirty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,20,37,950 for equity Share certificates with distinctive Nos. 7752794 to 7833046 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1141)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11179.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वासरी इंडिया प्रा.लि., 26, पीली कोठी, खानपुर, नई दिल्ली-110062, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,37,00,000/- मूल्य के प्रिफरन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 397631 से 564630 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 13,700 (रुपये तेरह हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1141)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11179.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vasari India Private Limited, 26, Pili Kothi, Khnapur, New Delhi-110062 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 13,700/- (Rs. Thirteen Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 13700000 for preference Share certificates with distinctive Nos. 397631 to 564630 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1146)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11180.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ, पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेयर सामग रिजल्टी प्रा. लि. बी-67, सरिता विहार, नई दिल्ली 110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 30960900/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 49487,269 से 52583358 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30961/- (रुपये तीस हजार नौ सौ इकसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1146)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11180.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sare Saamag Realty Private Limited, B-67, Sarita Vihar, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30961 (Rs. Thirty Thousand Nine Hundred Sixty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,09,60,900 for equity Share certificates with distinctive Nos. 49487269 to 52583358 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1127)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11181.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टेलेक्चुएल प्रोपर्टी प्रा. लि., एक्स-14, पहली मंजिल, हौज खास इन्क्लेव, नई दिल्ली 110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 75,52,905 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000565552 से 0000974016 है, पर लगने

वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7,553 (रुपये सात हजार पांच सौ तिरपेन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1127)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11181.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Global Institute of Intellectual Property Private Limited, X-14, First Floor, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,553 (Rs. Seven Thousand Five Hundred Fifty Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 75,52,905 for preference share with distinctive Nos. 000565552 to 000974016 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1138)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11182.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री निपरो ग्लास इंडिया लि., डी-28, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,00,00 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(1138)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11182.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Nipro Glass India Limited, D-28, South Extension, Part-1, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,00,000/- for equity Share certificate with distinctive Nos. 1 to 1000000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)

दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सं.फा. 10 (722)/मु. स.(मुख्य)/स.शु./08/11270.—

मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) क 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं सर्वश्री मैक्स न्यूयार्क लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लि., मैक्स हाउस, डा. झा मार्ग, ओखला, नई दिल्ली 110020, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख) जो कि के द्वारा अप्रैल 2010 से जून 2010 तक जारी की जाने वाली भिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के माप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग ले के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टर्ड काउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित हो, इस कार्यालय में जमा करेगी।

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY
ORDERS**

Delhi, the 29th March, 2010

No. F. 10(722)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/11270.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Max Newyork Life Insurance Company Limited, Max House, 1 Dr. Jha Marg, Okhla, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,00,000 (Rs. Fifty Lac) only in advance chargeable on various policies of Insurance to be issued by the said company during the period April, 2010 to June, 2010 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of abovesaid stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

सं.फा. 10 (1132)/मु. स.(मुख्य)/स.शु./08/11271.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क

अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री साइनोस्टील इंडिया प्रा. लि., बारहवीं मंजिल, इरोज कोरपोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,43,87,081 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4329890 से 16648462 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,94,388 (रुपये एक लाख चौराबे हजार तीन सौ अट्ठासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1132)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11271.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sino Steel India Private Limited, 12th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,94,388 (Rs. One Lac Ninety Four Thousand Three Hundred Eighty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 19,43,87,081 for equity Share certificates with distinctive Nos. 4329890 to 16648462 to be issued by the said company.

दिल्ली 31 मार्च, 2010

सं. फा. 10 (1143)/मु. स. (मु.स.)/स.शु./08/11309.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ओरिएन्ट ओवरसीज प्रा. लि., प्लॉट नं. 9, पहली मंजिल, एलएससी, गुजरानवाला टाउन-1, दिल्ली-110009, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,25,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 500001 से 845000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,025 (रुपये पचास हजार पच्चीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 31st March, 2010

F. No. 10(1143)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11309.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Orient Overseas Private Limited, Plot No. 9, 1st Floor, LSC, Gujranwala Town-I, Delhi-110009 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,025 (Rs. Fifty Thousand Twenty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,25,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 500001 to 845000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1151)/मु. स. (मु.स.)/स.शु./08/11318.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अलकाटेल वेक्यूम टैक्नोलोजी इंडिया प्रा.लि., सी-40, ग्राउंड फ्लोर, शिवालिक, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000001 से 700000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 70,000 (रुपये सत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1151)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11318.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Alcatel Vacuum Technology India Private Limited, C-40, Ground Floor, Shivalik, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 70,000 (Rs. Seventy Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 7,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 000001 to 700000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1145)/मु. स. (मु.स.)/स.शु./08/11326.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री तकाता इंडिया प्रा. लि., 303, बिल्डिंग नं. 10159, पदम सिंह रोड,, करोल बाग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 30,10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 34000001 से 37333330 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 33,334 (रुपये तैंतीस हजार तीन सौ चौतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1145)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11326.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Takata India Private Limited, 303, Building No. 10159, Padam Singh Road, Karol Bagh, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 33,334/- (Rs. Thirty Three Thousand Three Hundred Thirty Four) only on the aggregate value of

shares of Rs. 30,10,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 3400001 to 37333330 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1043)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11328.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पेसीफिक इंटरियर्स इंडिया प्रा. लि., नौरंग हाउस, मायालैंड सेन्टर, 111 एण्ड 112, पहली मंजिल, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 8,84,400 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 10001 से 98440 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 885 (रुपये आठ सौ पिचासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1043)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11328.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pacific Interiors India Private Limited, Naurang House, Maya Land Centre, 111-112, 1st Floor, 21, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 885 (Rs. Eight Hundred Eighty Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 8,84,400 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10001 to 98440 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1042)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11329.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पेसीफिक इंटरियर्स इंडिया प्रा. लि., नौरंग हाउस, मायालैंड सेन्टर, 111 एण्ड 112, पहली मंजिल, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,42,81,500 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 98441 से 146045 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 14,282 (रुपये चौदह हजार दो सौ ब्यासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1042)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11329.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pacific Interiors India Private Limited, Naurang House, Maya Land Centre, 111-112, 1st Floor, 21, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 14282 (Rs. Fourteen Thousand Two Hundred Eighty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,42,81,500 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 98441 to 146045 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1147)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/11330.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अम्बियंस फिनकैप (प्रा. लि.) ए-303-304, तीसरी मंजिल, बिल्डिंग नं. 2, कम्युनिटी सेंटर, नारायणा फेस-1, नई दिल्ली-110 028 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 66,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 500001 से 1165000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,650 (रुपये छः हजार छः सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(1147)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/11330.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ambience Fincap (P) Ltd., 303-304, 3rd Floor, Building No. 2, Community Centre, Naraina Phase-I, New Delhi-28 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,650 (Rs. Six Thousand Six Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 66,50,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 5,00,001 to 11,65,000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)